इकाई 13 निःशक्त शिक्षार्थियों का निर्देशन

इकाई की रूपरेखा

13.1 प्रस्तावना

13.2 उद्देश्य

13.3 विशेष आवश्यकताओं से हम क्या समझते हैं?

- 13.3.1 निःशक्तता के प्रकार
- 13.3.2 आंशिक और पूर्ण निःशक्तता
- 13.3.3 निःशक्तताओं हेतु संस्थान
- 13.3.4 समावेशी शिक्षा की अवधारणा और उपागम

13.4 सुविधाओं के प्रावधान

- 13.4.1 निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, 2016
- 13.4.2 सर्व शिक्षा अभियान
- 13.4.3 माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों हेतु समावेशी शिक्षा
- 13.4.4 एकल या बहु-निःशक्तताओं वाले विद्यार्थियों का परामर्श
- 13.4.5 बैठक व्यवस्था और विशेष अवयान

13.5 सारांश

13.6 इकाई अंत अभ्यास

13.1 प्रस्तावना

आप सीखने की विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थियों के संपर्क में आए होंगे; कुछ शीघ्र सीख लेते हैं; कुछ धीरे सीखते हैं और कुछ में अति स्पष्ट शिक्षण समस्याएँ होती हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको अपने दैनिक कक्षा-संचालनों में इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। आपके लिए प्रत्येक बच्चा ऐसा व्यक्ति विशेष होता है जिसे सीखने और निष्पादित करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। यह इकाई आपको उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने और एक शिक्षक के रूप में समस्याओं वाले विद्यार्थियों का निर्देशन कैसे कर सकते हैं, के बारे में जागरूक बनाने का लक्ष्य रखती है।

13.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- विभिन्न प्रकार की निःशक्तताओं की समझ विकसित कर सकेंगे;
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर सकेंगे;
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशीलता विकसित कर सकेंगे;
- निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाले विभिन्न विद्यमान वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कर सकेंगे;
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान कर सकेंगे; और
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधिगम अनुभवों को संगठित कर सकेंगे।

13.3 विशेष आवश्यकताओं से हम क्या समझते हैं?

आपकी कक्षा में एक या एक से अधिक ऐसे विद्यार्थी होंगे, जिनके पास किसी प्रकार की शिक्षण कठिनाइयाँ होती हैं। विभिन्न प्रकार के कारणों से समस्याएँ भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। जो कारक अधिगम समस्याएँ और निष्पादन कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं, उन्हें निम्न प्रकार से सूचीबद्ध किया जा सकता है :

क) बौद्धिक कार्यकरण का निम्न स्तर और विकास में विलम्ब (मंद विकास)

ख) दृष्टि समस्याएँ

ग) श्रवण और वाणी समस्याएँ

घ) अंगों में क्षति – अभाव, विकृति अथवा माँसपेशियों की गति में समस्या जो कुछ नियत क्षेत्रों में गति को बाधित करती है।

ङ) मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में समस्याएँ जैसे – अनुभूति, अवयान, स्मृति और दृश्य-गत्यात्मक समन्वयन में समस्याएँ जिनका परिणाम पढ़ने, लिखने, उच्चारण और अंकगणित में विशिष्ट समस्याएँ उत्पन्न होना है।

इसके अतिरिक्त घर और वातावरण सम्बन्धी समस्याएँ भी होती हैं, जो निम्नलिखित हैं:

क) माता-पिता के प्रेम और स्नेह का अभाव

ख) परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार्यता का अभाव

ग) अंतःक्रिया और अधिगम अवसरों का अभाव

घ) बच्चे के पालन-पोषण के अनुपयुक्त अभ्यास

अन्य कारक भी हैं जो अधिगम समस्याएँ उत्पन्न करते हैं और विद्यालय वातावरण से सम्बन्धित होते हैं। ये निम्नलिखित हैं:

क) शिक्षक द्वारा विद्यार्थी की स्वीकार्यता का अभाव और उसके अधिगम एवं निष्पादन सम्बन्धी निम्न अपेक्षाएँ रखना।

ख) कक्षाकक्ष का प्रतिकूल सामाजिक और भावात्मक वातावरण।

ग) अनिःशक्त सहपाठियों द्वारा अस्वीकार्यता और भावनाओं, उत्तरदायित्वों, स्वाधिकारों एवं अन्य सुविधाओं को साझा करने की इच्छा का अभाव।

घ) व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का अभाव।

ङ) विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार भौतिक सुविधाओं के समायोजन एवं अनुकूलन का अभाव।

अधिगम समस्याएँ कारकों के विभिन्न समुच्चयों के बीच अंतःक्रिया द्वारा किसी एक कारक या कई कारकों से उत्पन्न होती हैं।

भारतवर्ष में कई मिलियन व्यक्ति हैं जो निःशक्तता की विभिन्न डिग्री से ग्रसित हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि आप एक शिक्षक के रूप में अपने विद्यालय में निश्चित रूप से ऐसे विद्यार्थियों के संपर्क में आएँगे। आपके लिए प्रत्येक विद्यार्थी एक अद्वितीय व्यक्ति है। यद्यपि मानव योग्यताएँ अधिक मात्रा में आनुवंशिक होती हैं तथापि इसका काफी भाग समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान वातावरण द्वारा भी अर्जित किया जाता है।

प्रकृति और पोषण सभी व्यक्तियों को शारीरिक और मानसिक गुणों तथा धर्म के संदर्भ में भिन्न बनाते हैं। परंतु मानव बीमारियों और चोट लगने से क्षतिग्रस्त होने की ओर उन्मुख होते हैं। यह क्षति सभी मनुष्यों में एक समान नहीं होती। वास्तव में क्षमता और निःशक्तताओं की डिग्री एक सातत्य है। यह भी सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने शारीरिक, मानसिक और भावात्मक सीमाओं के कारण कुछ या अन्य कार्य करने में सक्षम होता है। परंतु इन्हें एक रेंज/सीमा में इन्हें सामान्य माना जाता है, जबकि एक नियत रेंज के बाद इन्हें क्षीणताओं या निःशक्तताओं के रूप में लिया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन मैनुअल में क्षीणता को इस प्रकार परिभाषित किया है – "मनोवैज्ञानिक और शरीर – संरचनात्मक या कार्यात्मक क्षमता में किसी प्रकार की कमी/हानि या असामान्यता।" एक निःशक्तता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है – "**एक व्यक्ति के लिए किसी कार्य को करने की क्षमता, जो एक विधि या एक सीमा के अंदर सामान्य मानी गई है, में किसी भी प्रकार का अवरोध या अभाव**" एक विकलांग को परिभाषित किया गया है – "**एक व्यक्ति जो उसकी सामान्य भूमिकाओं (आयु, लिंग, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर) को एक करने में किसी क्षीणता या निःशक्तता के फलस्वरूप बाधित या सीमित हो जाता है, जो उसके लिए अलाभ है, विकलांग कहलाता है।**" उदाहरण के लिए, (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) इसे भिन्न प्रकार से समझता है, जब वह अक्षम व्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित करता है – **"निःशक्त व्यक्ति वह है जिसमें विधिवत् रूप से मान्यता प्राप्त शारीरिक और मानसिक क्षीणता के कारण उसकी उपयुक्त व्यवसाय में सुरक्षित रहने, बने रहने और आगे बढ़ने की संभावनाएँ ठोस रूप में कम हो जाती है।"** एक दृढ़ परिभाषा तक पहुँचना कठिन है। परंतु सामान्य रूप से सभी यह स्वीकारते हैं कि निःशक्तता क्षीणता का परिणाम है, जिसमें कार्यात्मक क्षमता सीमित हो जाती है या क्रियाकलाप प्रतिबंधित हो जाते हैं और वह व्यक्ति जिसमें निःशक्तता है, समाज में सामान्य व्यक्ति से "भिन्न" समझा जाता है।

13.3.1 निःशक्तता के प्रकार

निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, 2016 में निःशक्तताओं के मुख्य पाँच वर्ग बताए गए हैं। प्रत्येक वर्ग में विविध निःशक्तताओं का वर्णन किया गया है। अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि भारत सरकार द्वारा कोई अन्य वर्ग अधिसूचित होता है तो उसे भी इसमें सम्मिलित माना जाएगा।

अधिनियम निःशक्तता को निम्न प्रकार से परिभाषित करता हैः

न्यूनतम निःशक्त व्यक्तिः इसका अर्थ है – एक व्यक्ति जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता स्पष्ट नहीं है, जबकि स्पष्ट निःशक्तता को मापनीय शब्दावली में परिभाषित किया गया है, और एक निःशक्तता वाले व्यक्ति को संलग्न करता है, जहाँ स्पष्ट निःशक्तता को प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण द्वारा मापनीय शब्दावली में प्रमाणित निःशक्तता के रूप में परिभाषित किया गया है।

- **निःशक्त व्यक्ति** का अर्थ है लम्बी अवधि तक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक क्षीणता वाला व्यक्ति जो उसकी समाज और समान रूप से दूसरों के साथ परस्पर क्रिया में बाधाओं के कारण उसकी पूर्ण और प्रभावी प्रतिभागिता को अवरोधित करता है।

अधिनियम 2016 में उल्लिखित विशिष्ट निःशक्तताएँ निम्नलिखित हैंः

1) **शारीरिक निःशक्तता**

क) निम्नलिखित सहित गतिशीलता सम्बन्धी निःशक्तताएँ

- कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति
- मस्तिष्काघात (Cerebral Palsy)
- बौनापन
- पेशीय कुपोषण
- अम्लीय हमले (Acid Attack) से पीड़ित व्यक्ति

ख) दृष्टि क्षीणता

- अंधापन
- न्यून दृष्टि

ग) श्रवण-क्षीणता

- बहरापन
- ऊँचा सुनना

2) **बौद्धिक निःशक्तता** जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- विशिष्ट अधिगम निःशक्तताएँ
- ऑटिज्म स्पैक्ट्रम विकार

3) **मानसिक व्यवहार**

- मानसिक बीमारी

4) निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न निःशक्तता

- दीर्घकालिक स्नायविक स्थितियाँ, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पारर्किंसंस डिजिज़ीस।
- रक्त विकृति जैसे – हीमोफोलिया, थैलेसेमिया और सिकल सैल डिजिज़ीस

5) बहु-निःशक्तताएँ (उपर्युक्त वर्णित निःशक्तताओं में एक से अधिक) जैसे – बधिर–अंधापन।

आइए, निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, 2016 की सूची में वर्णित इन निःशक्तताओं के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं।

1) **शारीरिक निःशक्तता**

गत्यात्मक निःशक्तता (पेशी-अस्थीय विकार या स्नायु तंत्र, या दोनों के परिणामस्वरूप स्वयं तथा वस्तुओं की गति से सम्बन्धित विशिष्ट क्रियाकलापों के निष्पादन में व्यक्ति की निःशक्तता में सम्मिलित हैं:

क) **"कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति"** का अर्थ है – एक व्यक्ति जिसके कुष्ठ रोग का उपचार किया गया है, परंतु निम्नलिखित से पीड़ित है:

i) हाथों या पैरों में संवेदना का अभाव, आँखों और आँख की पलक में संवेदना की हानि और आंशिक पक्षाघात परंतु कोई विकृति प्रकट नहीं।

ii) प्रकट-विकृति और आंशिक पक्षाघात परंतु सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में

संलग्न होने के लिए सक्षमता हेतु उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होती है।

iii) चरम शारीरिक विकृति और आंशिक पक्षाघात साथ ही अधिक उम्र, जो उसे किसी लाभदायक व्यवसाय प्राप्त करने से रोकते हैं। इसी के अनुसार, "कुष्ठ उपचारित" शब्द की अभिव्यक्ति का अर्थ समझना चाहिए।

ख) "सेरिब्रल पाल्सी" का अर्थ है – शारीरिक गतियों और माँसपेशी समन्वयन को प्रभावित करने वाले ग़ैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का एक समूह, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण होते हैं और सामान्यतया जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के कुछ देर बाद संपन्न होते हैं।

ग) "बौनापन" का अर्थ है – एक चिकित्सकीय या आनुवंशिक स्थिति है जिसका परिणाम एक प्रौढ़ व्यक्ति की लम्बाई 4 फीट 10 इंच (147 से.मी) या इससे कम होती है।

घ) पेशी विकृति (मस्कुलर डिस्ट्रौफी) का अर्थ है – वंशानुगत आनुवंशिक पेशी बीमारी, जो मानव शरीर को गतिशील बनाने वाली माँसपेशियों को कमजोर बनाती है और कई पेशी विकृति वाले व्यक्तियों के जींस में गलत और अनुपलब्ध जानकारी होती है जो उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन-निर्माण में रोकती हैं। इसकी पहचान प्रगतिशील पेशी-कमजोरी, पेशी प्रोटींस में दोष, और पेशी कोशिकाओं एवं ऊतकों के मृत होने के द्वारा होती है।

ङ) "**अम्लीय हमले से पीड़ित**" व्यक्ति का अर्थ है – एक व्यक्ति जो अम्ल (एसिड) या इसी प्रकार के संक्षारक पदार्थ फेंकने के हिंसात्मक उत्पीड़न से कुरूपित हो गया हो।

2) **दृष्टि क्षीणता**

क) "अंधापन" का अर्थ है – एक व्यक्ति जिसके पास निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति, उसमें सर्वोत्तम संशोधन के बाद विद्यमान होः

i) दृष्टि का पूर्ण अभाव

ii) दृश्य तीव्रता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलेन) – बेहतर आँख में सर्वाधिक संभव संशोधन के साथ।

iii) 10° से कम कोण पर दृष्टि के क्षेत्र की सीमा

ख) "न्यून दृष्टि" का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से कोई एक परिस्थिति होः

i) दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से कम – 3/60 तक या 10/200 तक (स्नेलेन) – बेहतर आँख में सर्वाधिक संभव संशोधन के साथ, अथवा

ii) 40° से कम, 10° तक के कोण पर दृष्टि-क्षेत्र की सीमा

ग) **श्रवण क्षीणता**

क) "***बहरापन***" का अर्थ है – ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाणी आवृत्ति में 70 डी बी श्रवण क्षति (बहरापन) हो।

ख) "***ऊँचा सुनने***" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाणी आवृत्ति में 60 डी बी से 70 डी बी बहरापन हो।

घ) "भाषण और भाषा निःशक्तता" का अर्थ है – ऐसी परिस्थितियाँ जैसे लेरिंगगेट्टोमी या अस्वरता जो जैविक या न्यूरोलॉजिकल कारणों द्वारा भाषण और भाषा के एक या अधिक अंगों को प्रभावित करते हैं, के कारण उत्पन्न स्थाई निःशक्तता है।

2) **बौद्धिक निःशक्तता** एक ऐसी स्थिति है, जो बौद्धिक कार्यकरण (विचार, अधिगम, समस्या-समाधान) जैसे अनुकूलन व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण अनुकरण द्वारा पहचानी जाती है और जो दैनिक सामाजिक और व्यावहारिक कौशलों की एक श्रृंखला को समाहित करती है, इसमें सम्मिलित हैं:

क) "**विशिष्ट अधिगम निःशक्तताएँ**" इसका अर्थ हैः विषयरूप स्थितियों का एक समूह, जिसमें बोलने या लिखने की भाषा के प्रसंस्करण में एक कमी आ जाती है। यह कभी व्यक्ति के समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, स्पेलिंग में और गणितीय गणना करने में एक कठिनाई के रूप में प्रकट होती है। इसमें वे स्थितियाँ सम्मिलित हैं, जैसे – अवधारणात्मक, निःशक्तताएँ, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्केल्कुलिया, डिस्प्रेक्षिया और विकासात्मक अस्वरता।

ख) "**ऑटिज्म स्पैक्ट्रम विकार**" का अर्थ – न्यूरो-विकासात्मक स्थिति है जो आम तौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है। यह एक व्यक्ति की संप्रेषण, सम्बन्धों की समझ और दूसरों के साथ जुड़ने की योग्यता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं और प्रायः असाधारण या स्टीरियोटाइप रीति-रिवाजों या व्यवहारों से सहसम्बन्धित होती हैं।

3) **मानसिक व्यवहार**

"मानसिक बीमारी" का अर्थ है – चिंतन, मूड, अनुभूति, प्रशिक्षण या स्मृति में एक ठोस विकृति, जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की योग्यता, या जीवन की साधारण माँगों को पूर्ण करने की योग्यता। परंतु इसमें मंदता (रिटार्डेशन) सम्मिलित नहीं है जो एक व्यक्ति के मस्तिष्क के बाधित या अपूर्ण विकास, विशेष रूप से बुद्धि की उप-सामान्यता से जानी जाती हैं।

4) निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न निःशक्तता

क) दीर्घकालिक स्नायविक स्थितियाँ, जैसे

i) "**मल्टीपल स्क्लेरोसिस**" का अर्थ है – एक उत्तेजक तंत्रिका तंत्र रोग, जिसमें मस्तिष्क और मेरू रज्जू की तंत्रिका कोशिकाओं के एक्जोंस के चारों और माइलिन शीथ्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। परिणामस्वरूप डीमाइलिबाइजेशन होता है, जो मस्तिष्क और मेरू रज्जू की तंत्रिका कोशिकाओं की आपस में संप्रेषित करने की क्षमता को प्रभावित करता है।

ii) "**पारकिंसंस डिजिज्स**" का अर्थ है – तंत्रिका तंत्र की एक प्रगतिशील बीमारी जो कंपन, पेशी कठोरता, और धीमी अनिश्चित गति के द्वारा चिन्हित होती है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से मध्य आयु वर्ग और प्रौढ़ व्यक्तियों पर होता है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुत्पादन से सहसम्बन्धित है जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी करता है।

ख) रक्त विकृति

i) "**हीमोफिलिया**" का अर्थ है – एक प्राकृतिक रोग, सामान्यतः केवल पुरुषों को प्रभावित करता है, परंतु स्त्रियों द्वारा अपने पुरुष, बच्चों में संक्रमित होता है। इसकी पहचान रक्त की सामान्य स्कंदन योग्यता में अभाव या क्षीणता द्वारा होती है और इसके कारण एक छोटे घाव में घातक रक्त स्राव हो सकता है।

ii) "**थैलेस्सेमिया**" का अर्थ है – पूर्वजों से प्राप्त विकृतियों का एक समूह जिसकी विशेषता हीमोग्लोबिन की कमी या अभाव है।

iii) "**सिकल सैल डिजिज्स**" का अर्थ है – हेमोलिटिक डिसआर्डर, जिसकी विशेषता जीर्ण एनीमिया, कष्टपूर्ण घटनाएँ और सहसम्बन्धित ऊतकों एवं अंगों की क्षति के कारण उत्पन्न विविध जटिलताएँ हैं। "हेमोलाइट" लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली के विनाश को संदर्भित करती है जिसका परिणाम हीमोग्लोबिन का निस्तारण है।

5) बहु-निःशक्तताएँ (उपर्युक्त वर्णित निःशक्तताओं में एक से अधिक)। इसमें बधिर, अंधापन भी सम्मिलित है। इसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति के पास श्रवण और दृश्य क्षीणता संयुक्त रूप में हों, परिणामस्वरूप गंभीर, संप्रेषणीय, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

निःशक्तताओं का वर्गीकरण – नरम, मध्यम, गंभीर और अति गंभीर के रूप में उनकी गंभीरता के आधार पर किया गया है। निम्नलिखित तालिका में दृश्य और श्रव्य क्षीणता के लिए आंशिक और पूर्ण निःशक्तताओं का वर्णन किया गया है।

13.3.2 आंशिक और पूर्ण निःशक्तता

भारत सरकार (2001) ने दृष्टि और श्रवण निःशक्तताओं को न्यून, मध्यम, गंभीर और अति गंभीर वर्गों में विभाजित किया है और इनकी निम्नलिखित परिभाषाएँ दी हैं:

तालिका 13.1 : दृष्टि निःशक्तता के प्रकार

वर्ग	बेहतर आँख	खराब आँख	क्षीणता का प्रतिशत
वर्ग 0	6/9 – 6/18	6/24 – 6/36	20%
वर्ग I	6/18 – 6/36	6/60 – निल	40%
वर्ग II	6/40 – 6/60 या दृष्टि-क्षेत्र 10° – 20°	3/60 – निल	75%
वर्ग III	3/60 – 1/60 या दृष्टि-क्षेत्र 10°	एफ.सी. 1 फुट से निल तक	100%
वर्ग IV	एफ.सी. 1 फुट से निल या दृष्टि-क्षेत्र 10°	एफ.सी. 1 फुट से निल तक	100%
एक आँख वाले व्यक्ति	6/6	एफ.सी. 1 फुट से निल तक या दृष्टि-क्षेत्र 10°	30%

टिप्पणी: एफ.सी. का अर्थ है – फिंगर काउंट

श्रव्य-क्षीणता का वर्गीकरण निम्नलिखित है:

तालिका 13.2 : वाणी और श्रवण निःशक्तता का वर्गीकरण

वर्ग	क्षीणता का प्रकार	डी.बी. स्तर	वाणी भेदयता	क्षीणता प्रतिशत
वर्ग I	न्यून श्रवण क्षीणता	26 – 40 डी.बी. क्षीणता–बेहतर आँख में।	80 – 100% डी.बी.–बेहतर आँख में।	40% से कम
वर्ग II (क)	मध्यम श्रवण क्षीणता	41 – 60 डी.बी. श्रवण क्षीणता– बेहतर आँख में।	50 – 80% – डी.बी. बेहतर आँख में।	40%– 50%
वर्ग II (ख)	गंभीर श्रवण क्षीणता	61 – 70 डी.बी. श्रवण क्षीणता – बेहतर आँख में।	40 – 50% – डी.बी. बेहतर आँख में।	51% – 70%
वर्ग III (क)	अति गंभीर श्रवण क्षीणता	71 – 90 डी.बी. श्रवण क्षीणता– बेहतर आँख में।	40% से कम – बेहतर आँख में।	71% – 100%
वर्ग III (ख)	पूर्ण बहरापन	91 डी.बी. और इससे अधिक श्रवण क्षीणता– बेहतर आँख में।	बहुत खराब विभेदन क्षमता।	100%

13.3.3 निःशक्तताओं हेतु संस्थान

भारत सरकार ने निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कल्याण हेतु निम्नलिखित संस्थानों को स्थापित किया है :

- भारतीय पुनर्वास परिषद
- निःशक्त जन मुख्य आयुक्त
- ऑटिज्म, मस्तिष्काघात, मानसिक मंदता, और बहु-निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास
- राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम
- राष्ट्रीय नेत्रहीन विकलांग संस्थान, देहरादून
- कृत्रित अंग निर्माण निगम
- मानसिक रूप से विकलांगों के लिए संस्थान, सिकंदराबाद
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय, शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली
- अली यावर जंग नेत्रहीन विकलांग संस्थान, मुम्बई
- राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान, कलकत्ता
- राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक
- एकाधिक निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय संस्थान, चैन्नई

- मानसिक स्वास्थ्य एवं विज्ञान संस्थान, बंग्लोरू
- भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली।

13.3.4 समावेशी शिक्षा की अवधारणा और उपागम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.) 1986 ने कम निःशक्तता वाले बच्चों के लिए "एकीकृत शिक्षा" और गंभीर निःशक्तता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की है। इसके अनुसार,

"उद्देश्य यह होना चाहिए कि शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों को सामान्य प्रगति के लिए तैयार करने और उन्हें जीवन का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करने के सक्षम बनाने के लिए उन्हें सामान्य समुदाय के साथ समान भागीदारी के लिए एकीकृत करना।" इस संदर्भ में निम्नलिखित उपायों की संस्तुति की गई है:

i) जहाँ कहीं संभव, गत्यात्मक-विकलांग बच्चों और कम विकलांग बच्चों की शिक्षा, सामान्य रूप से अन्य बच्चों के साथ होगी।

ii) जहाँ तक संभव हो, गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए जिला मुख्यालयों पर छात्रवासों सहित विशेष विद्यालय प्रदान किए जाएँगे।

iii) निःशक्त व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपर्युक्त व्यवस्थाएँ की जाएँगी।

iv) विकलांग बच्चों की विशेष कठिनाइयों के साथ समायोजन हेतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए पुनः उन्मुख किए जाएँगे।

v) निःशक्तता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा।

सलामानका (स्पेन) सम्मेलन ने एकीकृत शिक्षा का "समावेशी शिक्षा" में परिवर्तित किया। यहाँ पर इस बात को दोहराया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में विकलांग बच्चों के समायोजन हेतु विशेष शिक्षक प्रदान करने (जैसा कि एकीकृत शिक्षा में होता है) के स्थान पर वर्तमान शिक्षक को ऐसे बच्चों के समायोजन हेतु नियमित शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण द्वारा समक्ष बनाया जाए।

निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, "समावेशी शिक्षा" का अर्थ है: शिक्षा की ऐसी प्रणाली जहाँ सामान्य और निःशक्तता वाले दोनों विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं और शिक्षण-अधिगम प्रणाली विविध निःशक्तताओं वाले विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है।

अपनी प्रगति की जांच कीजिए

टिप्पणी: क) नीचे दिए गए स्थान में अपने उत्तर लिखिए।

ख) इस खंड के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) समावेशी शिक्षा के महत्व की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

13.4 सुविधाओं के प्रावधान

13.4.1 निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, 2016

अध्याय 3 में अधिनियम अनुबंधित करता है कि उपयुक्त सरकार, सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त सभी शैक्षिक संस्थान निःशक्तता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करेंगे और इसके लिए वे :

i) बिना भेदभाव के उन्हें प्रवेश देंगे और शिक्षा एवं खेल तथा मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों के अवसर दूसरों के समान ही प्रदान करेंगे।

ii) भवन, परिसर और विविध सुविधाओं को सुलभ बनाएँगे।

iii) व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवास प्रदान करेंगे।

iv) व्यक्तिगत या अन्यथा उन वातावरणों में, जो शैक्षिक और सामाजिक विकास को अधिकतम सीमा तक बढ़ाए तथा पूर्ण समावेशन के लक्ष्य के संगत हो, आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

v) अंधे या बहरे या दोनों प्रकार के व्यक्तियों की शिक्षा संप्रेषण की सर्वाधिक उपयुक्त भाषाओं, तरीकों और साधनों द्वारा प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

vi) प्रत्येक निःशक्तता वाले विद्यार्थी के संदर्भ में उनके संप्राप्ति स्तरों और शिक्षा पूर्ण करने में बच्चों की विशिष्ट अधिगम निःशक्तताओं का पता लगाएँगे।

vii) प्रत्येक निःशक्तता वाले विद्यार्थी के संदर्भ में उनके संप्राप्ति स्तरों और शिक्षा पूर्ण करने में उनकी प्रतिभागिता और प्रगति को मॉनीटर करेंगे।

viii) निःशक्तता वाले बच्चों को परिवहन सुविधा प्रदान करेंगे और निःशक्तता वाले उन बच्चों को जिन्हें उच्च सहायता की आवश्यकता है, उन्हें बच्चों का परिचारक भी प्रदान करेंगे।

उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के लिए आगे और भी आवश्यक है :

क) निःशक्तता वाले बच्चों की पहचान, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और कितनी मात्रा में उनकी पूर्ति हो रही है, का पता लगाने के लिए विद्यालय जा रहे बच्चों का प्रत्येक पाँच वर्ष में सर्वेक्षण कराना।

ख) शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों की पर्याप्त संख्या में स्थापना करना।

ग) शिक्षकों और निःशक्तता वाले शिक्षकों, दोनों को अधिगम एवं नियुक्ति प्रदान करना, जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल में योग्यता रखते हैं। साथ ही उन शिक्षकों को भी जो बौद्धिक निःशक्तता वाले बच्चों के शिक्षण में प्रशिक्षित हैं।

घ) विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा के समर्थन हेतु व्यावसायिकों और कर्मियों को प्रशिक्षित करना।

ङ) विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थानों की सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में संसाधन केन्द्र स्थापित करना।

च) संप्रेषण के उपयुक्त बुद्धिशील और वैकल्पिक तरीकों तथा उसके साधनों और प्रारूपों के उपयोग को बढ़ावा देना। वाणी, भाषा अथवा संप्रेषण निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों

की दैनिक संप्रेषण की पूर्ति के लिए उनकी स्वयं की वाणी के अनुपूरण हेतु ब्रेल और सांकेतिक भाषा का उपयोग और यह उन्हें अपने समुदाय और समाज में योगदान के लिए भागीदारी हेतु सक्षम बनाता है।

छ) बैंचमार्क निःशक्तताओं वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और उपयुक्त सहायक यंत्र अठारह वर्ष की आयु तक प्रदान करना।

ज) बैंचमार्क निःशक्तता वाले विद्यार्थियों को उपयुक्त मामलों में छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना।

झ) निःशक्तता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त सुधार करना। जैसे परीक्षापत्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, लेखक या श्रुति लेखक की सुविधा, द्वितीय और तृतीय भाषा पाठ्यक्रमों से छूट।

ञ) अधिगम सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना।

कौशल विकास और रोजगार

निःशक्त व्यक्तियों के कौशल विकास और व्यवसाय के सम्बन्ध में अधिनियम आदेश देता है कि उपयुक्त सरकार निःशक्त व्यक्तियों के व्यवसाय, विशेष रूप से उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के सहजीकरण हेतु योजनाएँ और कार्यक्रम बनाए जिसमें रियायती दरों पर ऋण की सुविधा भी सम्मिलित है।

योजनाएँ और कार्यक्रम निम्नलिखित के लिए होने चाहिएः

क) मुख्यधारा के सभी औपचारिक और अनौपचारिक व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निःशक्त व्यक्तियों का समावेशन।

ख) विशिष्ट प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निःशक्त व्यक्तियों की उपयुक्त सहायता एवं सहजीकरण को सुनिश्चित करना।

ग) निःशक्त व्यक्तियों के लिए एकांतिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनका बाजार के साथ सक्रिय सम्बन्ध हो, विशेषकर उनके लिए जो विकासात्मक, बौद्धिक, विविध निःशक्तताओं और ऑटिज्म वाले व्यक्ति हैं।

घ) माइक्रो-क्रेडिट सहित रियायती दरों पर ऋण देना;

ङ) निःशक्त व्यक्तियों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री;

च) निःशक्त व्यक्तियों सहित कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार में हुई प्रगति पर पृथक आँकड़े रखना।

न्यून निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान

1) अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकार अधिनियम, 2009 में सब कुछ निहित होते हुए भी, न्यून निःशक्तताओं वाले 6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच प्रत्येक बच्चे को उसकी इच्छा के अनुसार पड़ोस के विद्यालय या विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

2) उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों को सुनिश्चित करना होगा कि न्यून निःशक्तताओं वाले प्रत्येक बच्चे को अठारह वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा और उपयुक्त वातावरण प्राप्त हो।

3) सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थान और अन्य उच्च शिक्षा संस्थान पाँच प्रतिशत से कम सीटें न्यून निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के लिए नहीं रखें।

4) न्यून निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उच्च आयु में पाँच वर्ष की छूट दी जाएगी।

क्रियाकलाप

1) अपने क्षेत्र में विकलांगों के लिए विशेष संस्थानों की एक सूची बनाइए।

2) निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, 2016 के संदर्भ में ऐसे संस्थानों में से किसी एक में प्रदत्त सुविधाओं की जाँच कीजिए और इंगित कीजिए कि क्या अधिनियम के प्रावधानों का पालन हो रहा है।

3) अधिनियम का अध्ययन कीजिए और अनिवार्य सुविधाओं को छाँटिए जो विद्यालयों द्वारा ऐसे विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है।

4) जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं, वहाँ वास्तव में प्रदत्त प्रावधानों से इस सूची का मिलान कीजिए।

13.4.2 सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की प्रायोजित योजना है, जो देश में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने से सम्बन्धित हैं। सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य क्षेत्रों में से एक है – विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा उनकी निःशक्तता के प्रकार, वर्ग और डिग्री के निरपेक्ष, सामान्य विद्यालयों में प्रदान करना। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यालय तैयारी के कार्यक्रम के रूप में, विशेष विद्यालयों द्वारा शिक्षा, घर पर शिक्षा और समुदाय आधारित पुनर्वास का समर्थन करता है। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के नियोजन, प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर संसाधन समूहों की रचना की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन शारीरिक पहुँच, सामाजिक पहुँच और गुणवत्ता तक पहुँच को ध्यान में रखता है।

शारीरिक पहुँच हेतु क्रियाकलापों का एक भाग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और आंकलन है। इसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यक सहायक सेवाओं के साथ पड़ोस के विद्यालय में शैक्षिक स्थानन किया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कुछ नियत कौशलों (उदाहरण के लिए –गतिशीलता में प्रशिक्षण, ब्रेल, सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षण, आसन सम्बन्धी प्रशिक्षण आदि) का अर्जन उन्हें प्रारंभिक शिक्षण तक पहुँचने में सक्षम बनाने हेतु करने के लिए "विशेष प्रशिक्षण" प्रदान किया जाता है जिसकी परिकल्पना आर.टी.ई. अधिनियम में की गई है। विशेष प्रशिक्षण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विद्यालय के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाता है। विशेष प्रशिक्षण बच्चे की विशेष आवश्यकता के अनुसार आवास आधारित या ग़ैर-आवासीय हो सकता है। बच्चों की शैक्षिक पहुँच के सहजीकरण हेतु जिन बच्चों को सहायक यंत्रों की आवश्यकता होती है, उन्हें सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान किए जाते हैं। विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा भौतिक सुविधाओं तक सहज पहुँच प्रदान करने के लिए विद्यालयों में वास्तु सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने की कल्पना की गई है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सामाजिक पहुँच में अभिभावकों का प्रशिक्षण और सामुदायिक संचालन सम्मिलित है। अभिभावकों को अपने बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को समझने, और जीवन जीने के बुनियादी कौशलों के शिक्षण हेतु परामर्श और प्रशिक्षण

प्रदान किया जाता है। सामाजिक पहुँच का दूसरा क्रियाकलाप ग्राम शिक्षा समिति और समुदाय नेताओं को निःशक्तता के बारे में दिशा-निर्देश प्रदान करना है।

पूर्व उल्लिखित शारीरिक पहुँच विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहुँच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण घटक है। गुणवत्तापूर्ण पहुँच का दूसरा घटक विद्यालय में शिक्षण है। इसलिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रभावी कक्षाकक्ष प्रबंधन पर नियमित शिक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण आरंभ किया गया है। नियमित शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष कौशलों के शिक्षण हेतु संसाधन शिक्षकों/विशेष प्रशिक्षकों का प्रावधान किया गया है। संसाधन शिक्षक की नियुक्ति खंड/कलस्टर स्तर पर होती है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाले विद्यालयों के समूह को पूरा करते हैं। पाठ्यक्रम पहुँच को अधिगम विषयवस्तु में छोटे अनुकूलन, उपयुक्त शिक्षण-अधिगम रणनीतियों, अधिगम-सहायकों का अनुकूलन, मूल्यांकन में लचीलापन आदि के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अभिभावकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श द्वारा प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, गुणवत्तापूर्ण पहुँच की ओर दूसरा क्रियाकलाप है। विशेष विद्यालयों से अपेक्षित है कि वे समावेशी शिक्षा के लिए संसाधन केन्द्रों के रूप में कार्य करें और शिक्षक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री का विकास तथा शिक्षण-अधिगम सामग्री निर्माण हेतु सहायता प्रदान करें। सर्व शिक्षा अभियान विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।

सर्व शिक्षा अभियान ने 3000 रुपये प्रति अक्षम बच्चे के लिए व्यय का प्रावधान बनाया है, जो ऐसे बच्चों की विशेष अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक वित्तीय वर्ष में खर्च किया जा सकता है।

13.4.3 माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों हेतु समावेशी शिक्षा

माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (IEDSS) योजना वर्ष 2009-10 में आरंभ की गई और पहले की योजना – निःशक्तता वाले बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (IEDC) के स्थान पर प्रतिस्थापित हुई यह कक्षा IX-XII में निःशक्तता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा को सहायता प्रदान करती है। अब इस योजना का विलय वर्ष 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के अंतर्गत हो गया है। माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- माध्यमिक स्तर पर निःशक्तता वाले प्रत्येक बच्चे की पहचान की जाएगी और उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा।
- सहायता और उपकरणों की आवश्यकता वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को सहायक उपकरण प्रदान किए जाएँगे।
- विद्यालयों में सभी वास्तु बाधाओं को दूर किया जाएगा ताकि निःशक्तता वाले विद्यार्थियों की विद्यालय में कक्षाकक्षों, प्रयोगशालाओं और शौचालयों तक पहुँच हो सके।
- निःशक्तता वाले प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी आवश्यकतानुसार अधिगम सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
- माध्यमिक स्तर के सभी सामान्य विद्यालय शिक्षकों को तीन से पाँच वर्ष की अवधि के अंदर निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के शिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों का निर्देशन

- निःशक्तता वाले विद्यार्थियों की सहायता सेवाओं तक पहुँच होगी। जैसे विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति, प्रत्येक खंड में संसाधन केन्द्रों की स्थापना।
- समावेशी शिक्षा में अच्छी अनुकरणीय प्रथाओं के विकास हेतु प्रत्येक राज्य में आदर्श विद्यालयों की स्थापना की जाएगी।

पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम (वर्तमान में आर.पी.डी. अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित) के शैक्षिक प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना के सभी मदों के लिए 100 प्रतिशत आधार पर सहायता है। योजना दो प्रकार के घटकों के लिए सहायता प्रदान करती है:

i) विद्यार्थी-उन्मुख घटक

ii) अन्य घटक

पहले प्रकार के घटक समूहों के लिए योजना निःशक्तता वाले बच्चों की सहायता हेतु 3000 रुपये प्रति अक्षम बच्चा, प्रतिवर्ष प्रदान करती है। इसके ऊपर राज्य सरकार 600 रुपये प्रति बच्चा प्रतिवर्ष प्रत्येक बच्चे के लिए छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान करती है। 3000 रुपये प्रति अक्षम बच्चा प्रतिवर्ष की राशि को निम्नलिखित घटकों में खर्च किया जा सकता है:

i) निःशक्तता वाले बच्चों की पहचान और आकलन

ii) सहायक उपकरण

iii) अधिगम सामग्री, जैसे, ब्रेल पाठ्यपुस्तकें, ऑडियो टेप्स, टॉकिंग बुक्स, बड़े अक्षरों की पाठ्यपुस्तकें आदि

iv) परिवहन सुविधाएँ, छात्रवास– सुविधाएँ, छात्रवृत्तियाँ, पुस्तकें, वर्दियाँ, सहायक यंत्र, सहायक स्टॉफ (पाठक, लिपिकार)

v) बालिका विद्यार्थी हेतु वज़ीफा (200 रुपये प्रति माह)

vi) सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) तक पहुँच

vii) शिक्षण-अधिगम सामग्री का विकास

viii) शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों, स्पीच और ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्टस, साइकोथिरेपिस्ट्स, गतिशीलता निर्देशकों और चिकित्सा विशेषज्ञों से सहायक सेवाएँ प्राप्त करना।

ग़ैर-लाभार्थी उन्मुखी घटकों के दूसरे समूह के लिए अलग निधि प्रदान की जाती है। ये घटक हैं :

i) वास्तु सम्बन्धी बाधाओं को दूर करना

ii) विशेष शिक्षकों/सामान्य विद्यालय शिक्षकों का प्रशिक्षण

iii) प्राचार्यों और शैक्षिक प्रशासकों को दिशा-निर्देश

iv) शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

v) संसाधन कक्ष और संसाधन कक्षों हेतु उपकरण

vi) विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति

vii) आदर्श समावेशी विद्यालयों का विकास

viii) अनुसंधान और मानीटरिंग

ix) जागरूकता कार्यक्रम

माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना यह आवश्यक करती है कि परीक्षा परिषद जहाँ कहीं आवश्यकता हो, निःशक्तता वाले बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार परीक्षा प्रविधियों के अनुकूलन और परीक्षा के वैकल्पिक तरीकों का प्रावधान बनाएँ। सभी कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे प्रवेश, प्रवेश हेतु न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में छूट, प्रोन्नति और परीक्षा प्रविधियों से सम्बन्धित नियमों में छूट देने के लिए प्रावधान बनाएँ, ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा तक पहुँच का सहजीकरण किया जा सके। माध्यमिक स्तर पर 18 वर्ष से ऊपर के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए सहायता हेतु चार वर्ष की अवधि तक समर्थित किया जाएगा।

13.4.4 एकल या बहु-निःशक्ताओं वाले विद्यार्थियों का परामर्श

यह क्षेत्र अपेक्षाकृत कमजोर है। अभिभावकों और बच्चों का परामर्श बहुत महत्वपूर्ण है। इस विशेष क्षेत्र में कोई विशिष्ट और दीर्घकालीन पाठ्यक्रम संचालित नहीं किए जाते। यद्यपि, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक शिक्षकों को कुछ प्रशिक्षण दिए जाते हैं। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों से अपेक्षित है कि वे माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए। निःशक्तता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में शिक्षकों की सकारात्मक भूमिका होती है। सामान्य रूप से एक व्यक्ति ऐसे विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखता है, जिसका बच्चे की मानसिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्हें बार-बार याद दिलाया जाता है कि उनमें कमी है। इन बच्चों के विकास में यह सही उपागम नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षक इन विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को समझने का चेतन प्रयास करें और उनकी अधिगम कठिनाइयों को दूर करने में सहायता करें। शिक्षकों को इन बच्चों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी पहचानना चाहिए और सकारात्मक आत्मसम्मान के विकास में उनकी सहायता करनी चाहिए। साथ ही समावेशी विद्यालय सैटिंग में शिक्षकों को सहपाठी समूह की सहायता इन बच्चों के आत्मसम्मान को विकसित करने में करनी चाहिए। संभवतः ऐसे बच्चों की शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है।

अपनी प्रगति की जांच कीजिए

टिप्पणीः क) नीचे दिए गए स्थान में अपने उत्तर लिखिए।

ख) इस खंड के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

2) पाठ्यचर्या और परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा में विशेष प्रावधान का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13.4.5 बैठक व्यवस्था और विशेष अवयान

आपके कक्षाकक्ष में आपके पास कम दृष्टि अथवा श्रवण समस्या वाले बच्चे हो सकते हैं। आपको अपनी पहचान करने की आवश्यकता है और उन्हें अपने और श्यामपट्ट के निकट बैठने के अवसर दें। विषयवस्तु के प्रस्तुतीकरण के दौरान शिक्षकों को श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। शिक्षकों को श्रवण समस्या वाले बच्चे की ओर पीठ करके कभी नहीं बोलना चाहिए। शिक्षकों को बच्चे की ओर देखकर बोलना चाहिए। कम दृष्टि वाले बच्चों के लाभ हेतु शिक्षकों को श्यामपट पर लिखते समय या एक चार्ट या नक्शे के प्रस्तुतीकरण के दौरान अक्षरों के आकार बड़े रखने चाहिए। आपको यह भी जानने की आवश्यकता है कि इन बच्चों की पहचान कैसे की जाए।

अपनी प्रगति की जांच कीजिए

टिप्पणीः क) नीचे दिए गए स्थान में अपने उत्तर लिखिए।

ख) इस खंड के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

3) शिक्षकों की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर दिए जाने वाले विशेष ध्यान की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

13.5 सारांश

इस इकाई में आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अवधारणा से अवगत कराया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार की निःशक्तताओं की समझ सम्मिलित है। हमने निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, 2016 पर चर्चा की है। अधिनियम में 21 निःशक्तताओं को स्पष्ट किया गया है। इस इकाई में निःशक्तताओं की दी गई परिभाषाएँ आपकी सहायता इन निःशक्तताओं में से प्रत्येक का अर्थ समझने में करेंगी। हमने आगे अधिनियम में अनिवार्य किए गए शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन किया है। अधिनियम में दिए गए प्रावधानों की समझ आपको अपने निःशक्तता वाले विद्यार्थियों को उनके अधिकारों के उपयोग हेतु निर्देशित करने में सहायक होंगे। इकाई में निःशक्तता वाले बच्चों के लिए समावेशी विद्यालय की अवधारणा और उपागम पर भी चर्चा की गई है। माध्यमिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान और विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा) दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ हैं, जो निःशक्तता वाले बच्चों की शिक्षा की पूर्ति और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

13.6 इकाई अंत अभ्यास

1) क्षीणता क्या है? यह निःशक्तता और विकलांगता से किस प्रकार भिन्न है?

2) निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिए गए विशेष प्रावधान क्या हैं?

3) माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा क्या है? यह सर्व शिक्षा अभियान से कैसे भिन्न है?

4) आपके विद्यालय या पड़ोस के किसी विद्यालय में निःशक्तताओं वाले बच्चों के लिए प्रदत्त पाठ्यचर्या सम्बन्धी अनुकूलनों का पता लगाइए।

5) आपके विद्यालय या पड़ोस के किसी विद्यालय में निःशक्तताओं वाले बच्चों को प्रदत्त छूट के बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ चर्चा कीजिए।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY